

सूचना

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2015

क्र. एफ-3-156-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सेंधवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात:—

- 1. कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश
- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, सेंधवा, मध्यप्रदेश.
- सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय खरगोन, मध्यप्रदेश.
- (2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2015 -

क्र. एफ-3-156-2011-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक एफ-3-156-2011-बत्तीस, दिनांक 16 मार्च 2015का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **एस. के. मुदगल,** अवर सचिव.

NOTICE

Bhopal, the 16th March 2015

No. F. 3-156-2011-XXXII-Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Sendhawa, 2021 (Planning Area) under sub-section (1) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

- 1. Collector, District Badwani, Madhya Pradesh.
- 2: Chief, Municipal officer, Municipal Council Sendhwa Madhya Pradesh.
- 3: Assistant Director, Town & Country Planning Distt. office Khargone, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in Madhya Pradesh. Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHISH SAXENA, Dy. Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2015

क्र. 962-524-15-पचास-2.—िकशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्निलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) क्रमश: (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :—

अनुसूची

अ. किशोर न्याय जिले का सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
क. बोर्ड और नाम
उसका
मुख्यालय
(1) (2) (3) (4)
1. बडवानी बडवानी 1. श्रीमती प्रेरणा जोशी सदस्य

No. 962-524-15-L-2.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act, namely:—

SCHEDULE

Name of the Honorary Name of Jurisdiction Social Workers No, the Juvenile (Revenue Justice Board District) & its Head Quarter (2)(3)(4)(1)Badwani 1. Smt. Prerna Joshi -Member Badwani मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनी उड़के, अपर सचिव.